संख्या-10/502/74-14-27(ब)/2013

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊः दिनांक 02 मई, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना" के अन्तर्गत प्रथम चार माह (अप्रैल, मई जून व जुलाई, 2014) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-51सेरी0/लेखा/आयो0बजट/2014-15, दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना" में प्राविधानित धनराशि रू0 9970 हजार (रूपये निन्यानवे लाख सत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014) के लिए रू0 3322 हजार (रूपए तैंतीस लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

लेखाशीर्षक- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-
107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-
06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना

(धनराशि हजार रूपये में)

मद सं0	मद का नाम	आय-व्ययक अनुमान में प्राविधानित धनराशि 2014-15	लेखानुदान के माध्यम से प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014) हेतु स्वीकृत धनराशि
18	प्रकाशन	500	166
42	अन्य व्यय	4250	1416

http://shasanadesh.up.nic.in

44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5220	1740
	योग	9970	3322

(रूपये तैंतीस लाख बाईस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाये।

(4) स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार के विचलन /दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम स्वंय जिम्मेदार/उत्तरदायी होगें।

(7) लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 के लिए दिनांक 05 मार्च, 2014 से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। अत: वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करते समय भारत निर्वाचन, आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारियों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- / 502(1) / 74-2014-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षक), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।

(8) नियोजन अनुभाग-4

(9) प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाइट पर लोड कर दें।

(10) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in